ISO:9001-2008

कार्यालय जिला पंचायत
कानपुर नगर।

मानचित्र अनुभाग

अनुज्ञा/स्वीकृति

पत्र सं0– 11 /नि0/मा0अनु0/जि0पं0 दिनांकः 04/05/2017

सेवा में,

मैं0 आनन्दम बिहार,
अखिल शर्मा
6/31 डी0 पार्वजी बंगला रोड,
कानपुर नगर।

विषयः– आवासीय हेतु भूमि ले–आउट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयक आवासीय संस्थान बनाने हेतु आराजी सं0 137अ व 137ब ग्राम देवपालपुर तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो कि जिला पंचायत कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर जिला पंचायत कानपुर नगर की उपविधि संख्या खण्ड 69/संख्या–22/भाग–3–14 ध(73–81) दिनांक 30.05.2015 के अनुमोदन के क्रम में निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग या ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद उन सभी विभागों से जिन से लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
4. प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माणधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण न किया जाय।
5. जलमल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाय तथा सीवरेज/नाली का निस्तारण भवन स्वामी द्वारा सुनश्चित किया जाये।
6. मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम 7 यथावत लागू रहेंगे।
7. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भूमि ले–आउट (प्लाटिंग) कार्य कुल कवर्ड एरिया 4604 वर्गमी0 में ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृति मानचित्र के अनुसार भूमि ले–आउट कार्य कराने की अवधि तीन वर्ष की होगी दिनांक 28.04.2017 से 27.04.2020 तक।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृति मानचित्र की अवधि तीन वर्ष के पश्चात् कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत कानपुर नगर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर

10. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृति मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत कानपुर नगर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
12. प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपड़ अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. प्रतिबन्ध रहेगा कि भवनों की स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा को मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।
14. मानचित्र का अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।
15. भूखण्ड स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
16. प्रतिबन्ध रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
17. रेनवाटर हार्वेस्टिम पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराना होगा।
18. भूमि स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत कानपुर नगर उत्तरदायी नहीं होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर
जिला पंचायत कानपुर नगर

पत्र सं0– /नि0/मा0अनु0/जि0पं0 दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत कानपुर नगर को सूचनार्थ।
2. अवर अभियन्ता जिला पंचायत कानपुर नगर को इस आशय के साथ की उक्त स्वीकृति पत्र के सापेक्ष ही निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर